न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–63/2021 दायर दिनांकः 01.07.2021

GCMS NO:- 2021/126

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. मायाराम आ0 गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम बाछौला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. बलराम आ0 गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम बाछौला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. कसकन्दा पत्नी स्व0 गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम बाछौला तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. रामेश्वर आ0 माधो जाति धाकड निवासी ग्राम बाछौला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. दिनेश आ0 छीतर जाति धाकड निवासी ग्राम बाछौला तहसील नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

निर्णय दिनांक 06.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बाछौला तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की कृषि भूमि खाता संख्या 81 खसरा संख्या 116 रकबा 2.8558 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के पिता /पति के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि है। जिस पर आने जाने का एकमात्र रास्ता प्रत्यार्थी संख्या रामेश्वर की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 115 व प्रत्यार्थी संख्या 2 दिनेश की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 114 की भूमि के मध्य से होकर मेर मेर पर बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को हांकने के लिए आने जाने के लिए वर्षो से करते चले आ रहे है। रास्ते को परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि प्रार्थीगण के पिता/पति की मृत्यु के बाद फौती नामान्तकरण नही खुलने के कारण प्रत्यार्थी संख्या प्रार्थीगण को रास्ता देने के लिए लडाई झगडा करने लगे और कहने लगे कि मेरे खातेदारी के खेत में तुम्हे रास्ता नही दूंगा। यह कि प्रार्थीगण को उनकी भूमि को हांकने के लिए ट्रेक्टर आदि लेकर जाने से भी मना कर दिया। यही प्रार्थना पत्र का कारण है। यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए व काश्त करने के लिए परिशिष्ट अ में लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को 20 फीट चौडा कर राजस्व नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड में तथा मौके पर कायम करवायें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाये की अप्रार्थीगण प्रार्थिगण के रास्ते को अवरूद्व नहीं करें, सुखाधिकार में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ऐसा किसी अन्य से करवायें। प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र, आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 116 पर पहुंचने के लिए मुताबिक रिकॉर्ड कोई भी रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रस्तावित रास्ता अनुसार खसरा संख्या 114 व 115 में से रास्ता दिया जाना उचित होगा। रास्ता में खसरा संख्या 114 में से 8 जरीब 3*1 गटठा, खसरा संख्या 115 में से 9 जरीब 2*1 गटठा भूमि उपयोग में आयेगी जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेजव रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट बाछौला में पेश हुई । अप्राथीगण बावजूद सूचना के

श्योराम
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:43:48 IST
Reason: SelfAttested

...थत नही है। उपस्थित प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना ...योचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बाछौला तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की कृषि भूमि खाता संख्या 81 खसरा संख्या 116 रकबा 2.8558 हेक्टेयर भूमि पर पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्ता अनुसार खसरा संख्या 114 में से 8 जरीब 3*1 गटठा, खसरा संख्या 115 में से 9 जरीब 2*1 गटठा भूमि उपयोग में आयेगी जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उक्त भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:43:48 IST
Reason: SelfAttested